संख्या-57/2019/3746/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 7 मार्च 2019

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में संचालित केन्द्रपुरोनिधानित वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत जनजातीय बाहुल्य जनपदों का बेसलाइन सर्वे कराये जाने हेतु प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-222/ज0जा0वि0/2018-19, दिनांक-10.10.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में संचालित केन्द्रपुरोनिधानित वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत जनजातीय बाहुल्य जनपदों का बेसलाइन सर्वे कराये जाने हेतु प्राविधानिधत धनराशि रू0-10.00 लाख के सापेक्ष रू0-9,94,350/- की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये जनजाति बाहुल्य जनपदों का बेसलाइन सर्वे कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-**''2225-02-796-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0110-वनबन्धु कल्याण योजना-20-सहायता अनुदान** में प्राविधानित धनराशि रू0-95.00 लाख में से जनजाति बाहुल्य जनपदों का बेसलाइन सर्वे कराये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-10.00 लाख के सापेक्ष **रू0-9,94,350/-(रू0-नौ लाख चौरान्वे हजार तीन सौ पचास मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1)-निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था गिरी विकास अध्ययन संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र सर्वे कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार उसी कार्य के लिये किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

(4)-प्रायोजनान्तगत प्रस्तावित बा॰ट आउट आइटम्स के कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)-कार्यदायी संस्था द्वारा बेसलाइन सर्वे का कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तायुक्त कराये जायेगे।

(7)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र डिजिटल फोटोग्राफ्स के साथ नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0110-वनबन्धु कल्याण योजना-20-सहायता अनुदान'' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ.संख्या-57/2019/3746/26-3-2018 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3. प्रबन्ध निदेशक, गिरी विकास अध्ययन संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारी, द्वारा निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।